(-मरुज-पत्र

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल

क/बोर्ड/योजना/गै.त./82–पार्ट/2019–20/464 भोपाल, दिनांक 24/7/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.........................(समस्त)

विषय :– मण्डी समिति में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के चिकित्सा परीक्षण के संबंध में।

संदर्भ :– मण्डी बोर्ड मुख्यालय का आदेश क्रमांक 341 (342) दिनांक 24.6.2019

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटी जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो गई हो उनका मण्डी प्रांगण में शिविर आयोजित किया जाकर वर्ष में 02 बार चिकित्सा परीक्षण कराया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण में स्वास्थ्य परीक्षण 15 जुलाई 2019 के पूर्व कराया जाकर आयोजित शिविर की रिर्पोट छायाचित्र सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया था। उक्त जानकारी अभी तक अप्राप्त है।

अतः वांछित जानकारी अधीनस्थ मण्डी समितियों से प्राप्त की जाकर एकजाई जानकारी मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

23/7/19

संयुक्त संचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बोर्ड/योजना/गै.त./82–पार्ट/2019–20/465 भोपाल, दिनांक 24/7/19

प्रतिलिपि :–

1. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला.......................................(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मण्डी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करें, उक्त जानकारी मुख्यालय को सीधे प्रेषित न करें।

संयुक्त संचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल